UPAU010023472022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. Code UP–2391

सत्र वाद संख्या–478/2022

राज्य बनाम रामदत्त

मुकदमा अपराध संख्या–353/2020

धारा–**8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट**

थाना–**दिबियापुर**, जिला–औरैया

दिनांक–04.05.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त रामदत्त अनुपस्थित।

2. अभियुक्त **रामदत्त** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–**8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट** के तहत पुलिस थाना–**दिबियापुर**, जिला–**औरैया** द्वारा विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कोर्ट नं.–2, औरैया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, औरैया द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

3. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त रामदत्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया जिस पर उपनिरीक्षक अनिल कुमार द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि एन.बी.डब्लू. उपरोक्त की तामीला की कार्यवाही उपनिरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर अमल में लायी गयी तो ग्रामवासी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त रामदत्त उपरोक्त की शादी नहीं हुयी थी, जिसकी मृत्यु एक वर्ष पूर्व एक्सी में हो चुकी है। घर पर कोई सदस्य नहीं है जिस कारण अभियुक्त /मृतक रामदत्त उपरोक्त का मृत्यु प्रमाणपत्र भी नहीं बनवाया गया है। ग्राम प्रधान की तहरीर संलग्न है।

4. साक्षी उपनिरीक्षक **अनिल कुमार** ने बतौर सीएडब्लूए–1 न्यायालय में सशपथ बयान दिया कि वह थाना दिबियापुर में तैनात है। वह दिनांक 25.10.2025 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया पर एस. आई. के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को उसने न्यायालय के आदेश दिनांकित 09.10.2025 पर अभियुक्त रामदत्त पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम अमृतपुर सौंधेमऊ थाना दिबियापुर जनपद औरैया की मृत्यु के संबन्ध में उसके घर जाकर जांच की थी, तो उसके गांव वालों व ग्राम प्रधान अंशू देवी ने बताया था कि रामदत्त उपरोक्त की मृत्यु एक्सीडेन्ट में हो गयी थी। इस संबन्ध ग्राम प्रधान अंशू देवी ने एक प्रमाण पत्र बाबूराम की मृत्यु के संबन्ध में उसे प्राप्त कराया था। वह प्रमाण पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9ख/2 के रुप में आज उसके सामने है। इसी प्रमाणपत्र व ग्रामवासियों के बताने के आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9ख/1 की पुष्त पर अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार व ग्राम प्रधान अंशू देवी व ग्रामवासियों के बताने के आधार पर अभियुक्त रामदत्त पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम अमृत पुर सौंधेमऊ की मृत्यु एक्सीडेंट में हो चुकी है, अंकित है। उसकी वह रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9ख/1 की पुष्त पर मौजूद है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में मौजूद है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श सी–01 डाला गया।

5. इस प्रकार उपनिरीक्षक अनिल कुमार द्वारा दिये गये सशपथ बयान, गैर जमानतीय अधिपत्र पर प्रस्तुत आख्या एवं ग्राम प्रधान द्वारा दी गयी तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त रामदत्त की मृत्यु लगभग एक वर्ष पूर्व एक्सीडेन्ट में हो चुकी है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध वाद उपशमित (अबेट) किये जाने का आधार पर्याप्त है।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.05.04 13:16:35 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

आदेश

सत्र वाद संख्या–478/2022 राज्य बनाम रामदत्त मुकदमा अपराध संख्या–353/2020 धारा–8/20 **एन.डी.पी.एस. एक्ट** थाना–**दिबियापुर**, जिला–औरैया की पत्रावली में अभियुक्त **रामदत्त** के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित (अबेट) की जाती है। प्रकरण में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।